न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 22 / 2024

राज.सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

श्री मनीष शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल, निवासी आर्य समाज रोड, बाडी वाली गली भरतपुर

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थित :–
1–पैरोकार सरकार रसद

निर्णय **दिनांक 05.03.2025**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 24.10.2024 को प्राप्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्देशन में प्रवर्तन स्टाफ लक्ष्मण मन्दिर के पीछे स्थित मोहन मिष्ठान भण्डार पर पहुचे, मौके पर 14.2 किग्रा भराव क्षमता क 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों से मिठाई बनाने का कार्य व्यावसायिक भट्टी एवं रेग्यूलेटर, नली व चूल्हे के माध्यम से किया जाना पाया। इसके अतिरिक्त 03 अन्य घरेलू सिलेण्डर भी परिसर में अवैध रूप से मौजूद पाये गये। परिसर में 02 सिलेण्डर 19 किग्रा भराव क्षमता के मौजूद पाये, जिनके सम्बन्ध में कनेक्शन अथवा रिफिल सम्बन्धी कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेन्डरों का व्यवसायिक दुरूपयोग द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन होने के कारण मौके पर जप्त 05 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो को नोटिस धारा 6बी ई0सी0 एक्ट रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित नहीं आया। पैरोकार रसद की बहस इकतरफा में सुनी गई।

पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अप्रार्थी द्वारा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर का बिना वैध दस्तावेजात के भण्डारण करना एवं इनका उपयोग वाणिज्यक गतिविधि के लिये करने के लिये पाया गया।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन होने के कारण जप्त 05 घरेलू गैस सिलेण्डर एलपीजी राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पैरोकार सरकार रसद के कथनों पर गौर किया। अप्रार्थी अपने प्रतिष्ठान में मौके पर 05 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण करना एवं वाणिज्यक गतिविधी के लिये उपयोग करता पाया गया है। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण जप्त 05 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात किया जाना उचित पाते हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मोके पर जप्त 05 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जप्त 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय द्रवित पैट्रोलियम गैस मात्रा 35.400 किग्रा राजसात (Confiscate) किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है एवं जप्त गैस सिलेण्डरों को सम्बन्धित कम्पनी में जमा कराने तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86 (23)खा0ले0/6/89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी/आयल कम्पनी गैस सिलेन्डरों से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराई जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2025 को सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर